

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियाँ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

हस्ताक्षर



प्रबन्धक (तकनीकी)
उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण,
लखनऊ



महाप्रबन्धक (तकनीकी-पूर्व)
उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा)
लखनऊ।